

गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा, रोहतक

रजि० कार्यालय: गौड़ स्कूल, रोहतक

रजि० नं: 305 (1980-81)(Old) HR RTK 2013 00307 (New)

विस्तृत सार्वजनिक सूचना

सभा के सदस्यों को विदित होगा तथा सूचित किया जाता है कि 31-01-2014 को प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा सभा में चुनाव कराने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। 29-3-2012 को नया सोसाइटीज एक्ट लागू हो जाने के कारण 2015 में प्रशासक द्वारा सभा के 2011 की सूची में दर्ज 33107 सदस्यों से निर्धारित फार्म में विवरण मांगे गए थे। यह भी सूचित किया जाता है कि वर्ष 2013 में सभा में लगभग 43000 सदस्य बनाए गए थे लेकिन नियमानुसार सदस्यता प्रदान न करने के कारण उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया। उनमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा 2015 में माननीय उच्च न्यायालय में सदस्यता का दावा करते हुए याचिकाएं दायर की गई थी जिनका निर्णय 22-09-2017 तथा 20-12-2017 को हुआ है। 2015 में सभा में कुल 24164 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनकी सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इस सूची पर सभा के सभी सदस्यों से दावे एवं आपत्तियां आमन्त्रित की जाती हैं जो 25-03-2018 तक सभा कार्यालय में दायर की जा सकती हैं। दावे एवं आपत्तियां दायर करने वाले व्यक्तियों / सदस्यों की सुनवाई 6-7 और 9-10 अप्रैल 2018 को सभा के कार्यालय में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक की जाएगी। 24164 में से 838 फार्मों में त्रुटियां पाई गई हैं जिनके निराकरण एवं निर्णय के लिए उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं तथा उनकी व्यक्तिगत सुनवाई 6-7 और 9-10 अप्रैल 2018 को सभा के कार्यालय में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक की जाएगी।

वर्ष 2011 की सूची के 24164 के अतिरिक्त 8943 सदस्यों तथा बाद में 2011-12 में 28.3.2012 तक बनाये गए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित फार्म में अपने विवरण भर कर अपनी पहचान एवं 2011 की सूची में दर्ज अपने पते के सबूत तथा यदि किसी का 2011 की सूची में दर्ज पता बदल गया है तो नए पते का भी सबूत तथा फार्म पर अपना फोटो लगाकर आवेदन 25-03-2018 तक सभा के कार्यालय में दायर करें। सदस्यता सूची तथा निर्धारित आवेदन फार्म सभा की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। 2011 की सदस्यता सूची में दर्ज क्रमांक संख्या सदस्यों के सदस्यता न० हैं। जिन आजीवन सदस्यों

द्वारा अपने आधार नंबर सभा में दायर नहीं किए गए है वे अपने आजीवन सदस्यता नंबर लिखते हुए अपने आधार नंबर / कार्ड की प्रतिलिपि सभा कार्यालय में 25-03-2018 तक जमा करवाए।

उपरोक्त कारवाई अनुसार दावे एवं आपत्तियों का निर्णय करके सभा के सदस्यों की सूची को अन्तिम रूप दिया जाएगा तथा रजिस्ट्रार से कोलिजियम की स्कीम स्वीकृत करवा कर उसके अनुसार सभी सदस्यों को कम से कम 105 तथा अधिक से अधिक 300 इलैक्टोरल कोलिजिज में बांटा जाएगा तथा प्रत्येक कोलिज से एक एक प्रतिनिधि का चुनाव करके उन सदस्यों का कोलिजियम गठित किया जाएगा। तत्पश्चात कोलिजियम के सदस्यों द्वारा सभा की प्रबन्धक समिति का चुनाव किया जाएगा।

सभा की सभी जानकारियों तथा सूचनाओं के लिए सभा की वेबसाईट www.gbvps.org का अवलोकन समय-समय पर करते रहें।

आप सभी से अनुरोध है कि उपरोक्त कारवाई में सभा को अपना पूरा सहयोग दें ताकि चुनाव जल्दी से जल्दी सम्पन्न कराए जा सकें।

आयुक्त, नगर निगम रोहतक एवं प्रशासक, G.B.V.P.S. रोहतक।

दिनांक: 23-02-2018